



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 9110 सन् 2026

सुरेश कुमार .....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य .....प्रतिवादीगण

---

आवेदक के अधिवक्ता : अभिषेक गुप्ता

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

---

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि परिवाद वाद संख्या 1004 सन् 2025 (संदीप त्यागी बनाम सुरेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कुमार), जो कि धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत थाना सेक्टर-126, जनपद गौतम बुद्ध नगर से उत्पन्न है तथा जो कि प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतम बुद्ध नगर के न्यायालय में लंबित है, की सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त किया जाए तथा दिनांक 04.11.2025 का आक्षेपित समन आदेश भी निरस्त किया जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि पक्षकारों के मध्य धन संबंधी विवाद विद्यमान है तथा प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा आवेदक के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत परिवाद संस्थित किया गया है। यह भी कहा गया है कि चूंकि धन के भुगतान को लेकर कुछ विवाद है, अतः पक्षकारों के मध्य सुलह/समझौते के माध्यम से विवाद के निस्तारण की पर्याप्त संभावना है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय *दमोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच.*, (2010) 5 SCC 663 पर भरोसा किया गया है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ 17, 18 एवं 19 निम्नवत उद्धृत किए जा रहे हैं:-

हाल ही में प्रकाशित एक टिप्पणी में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत अपराध के संबंध में निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं [उद्धृत: अरुण मोहन, *Some Thoughts Towards Law Reforms on the topic of Section 138, Negotiable Instruments Act – Tackling an avalanche of cases* (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्रा. लि., 2009), पृष्ठ 5]:

“... अन्य प्रकार के अपराधों की तुलना में, यहाँ (जहाँ तक परिवादी का प्रश्न है) दंड का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं है, बल्कि धन की वसूली सुनिश्चित करना है। परिवादी का

मुख्य हित धन की वसूली में होता है, न कि चेक जारीकर्ता को कारावास दिलाने में। कारावास की धमकी केवल वसूली सुनिश्चित करने का एक माध्यम है। यदि हम उन परिवादों की संख्या का अध्ययन करें जो अंतिम निर्णय से पूर्व समझौते या निपटान के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं तथा उनकी तुलना उन मामलों से करें जो निर्णय एवं दोषसिद्धि तक पहुँचते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश मामले समझौते के माध्यम से निपट जाते हैं और केवल बहुत कम मामले ही अंतिम निर्णय तक पहुँचते हैं।”

18. यह स्पष्ट है कि चेक अनादरण (dishonour of cheques) से संबंधित अपराध के संदर्भ में प्रतिकरात्मक (compensatory) पहलू को दंडात्मक (punitive) पहलू की अपेक्षा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। माननीय अटॉर्नी जनरल द्वारा व्यक्त की गई इस आशंका को भी कुछ समर्थन प्राप्त है कि चेक बाउंस के अधिकांश मामले वास्तव में समझौते या समायोजन के माध्यम से निपटाए जा रहे हैं, यद्यपि यह समझौता प्रायः वाद-विवाद की अंतिम अवस्था में किया जाता है, जिसके कारण न्याय प्रदान करने में अनावश्यक विलंब उत्पन्न होता है। यह समस्या मुख्यतः इस प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है कि पक्षकार अपने विवाद के समाधान हेतु संधारण (compounding) का विकल्प बहुत देर से चुनते हैं। .....

19. जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, माननीय अटॉर्नी जनरल का यह निवेदन है कि विधिक मार्गदर्शन के अभाव में पक्षकार संधारण (compounding) को अंतिम उपाय के रूप में चुन रहे हैं, जबकि उन्हें यह विकल्प मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिए जाने के प्रारंभिक चरण में ही अपनाना चाहिए। इस प्रकार के व्यवहार का एक संभावित कारण यह हो सकता है कि अभियुक्त पक्ष विधिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



से गुजरने का जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है और केवल तब समझौते का मार्ग अपनाता है जब उसके पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहता। यद्यपि पक्षकारों के दृष्टिकोण से यह व्यवहार तर्कसंगत प्रतीत हो सकता है, तथापि वास्तविक स्थिति यह है कि संधारण को विलंब से अपनाने के कारण विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में अनावश्यक वृद्धि होती है। यदि अभियुक्त बाद के चरण में आकर संधारण के माध्यम से विवाद निपटाने को तैयार होता है, तो यह सामान्यतः परिवादी के मामले में कुछ न कुछ मेरिट होने का संकेत देता है। ऐसे मामलों में यह अधिक वांछनीय होगा कि पक्षकार प्रारंभिक चरण में ही संधारण का विकल्प अपनाएँ। किन्तु यदि अभियुक्त के पास कोई वैध प्रतिरक्षा जैसे भूल, जालसाजी या बलपूर्वक दबाव (coercion) आदि हो, तो ऐसे मामलों का निस्तारण संबंधित विधिक मंचों के माध्यम से विचारण द्वारा किया जाना चाहिए।

5. विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त आज से एक माह की अवधि के भीतर अपने प्रतिनिधि अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो तथा समझौते के माध्यम से अपराध के संधारण (compounding) हेतु आवेदन प्रस्तुत करे एवं चेक राशि का 10% जमा करे। उक्त आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित न्यायालय विधि के अनुसार समुचित कदम उठाएगा तथा अभियुक्त को इस दिशा में प्रयास करने हेतु आगे अवसर प्रदान करेगा, जो आज से अधिकतम चार माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। इसके पश्चात न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *दमोदर एस. प्रभु* (उपर्युक्त) के मामले में प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुए आवश्यक आदेश पाँच माह की अवधि के भीतर पारित करेगा।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



6. यदि अभियुक्त समझौते के माध्यम से अपराध के संधारण हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसे विचारण का सामना करने हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा तथा न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही आगे बढ़ाने तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विधि द्वारा अनुमत सभी आवश्यक कदम एवं उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. उपर्युक्त पाँच माह की अवधि अथवा उक्त आवेदन के निस्तारण तक, जो भी पहले हो, अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक/बलपूर्वक कार्रवाई (coercive measures) नहीं की जाएगी।

8. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उसी अभियुक्त के संबंध में पारित किया गया है, जिसकी ओर से वर्तमान धारा 528 बी.एन.एस.एस. का आवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

9. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, यह आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

दिनांक : 20 मार्च, 2026

नितिन वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।